न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/49/2025 रजू दिनांकः 25.04.2025 रजि0 न0 2025/87

अपीलार्थीः–

श्रीमती दर्शन कुमारी पत्नी स्व0 श्री त्रिलोक चन्द चुघ, निवासी प्लॉट नं0 18 पंचवटी, अलवर, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास अवलर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 10.06.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र के माध्यम से आवेदन दिनांक 07.03.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 06.05.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू.आई.टी./आर.टी.आई./2025/2200 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 07.03.2025 के द्वारा सात बिन्दुओ के संबंध में सूचना चाही गई थी। आवेदक द्वारा चाही गई बिन्दुवाइज सूचना प्रश्नात्मक है, इस क्रम में न्यास द्वारा अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1230 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा सूचित किया गया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब एवं संलग्नक पत्रादी के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबंध में न्यास प्रतिलिपि क्रमांक 1230 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा सूचना अपलार्थी को भिजवाया जाना अंकित किया है जबकि अपीलार्थी को भिजवाये गये उक्त पत्रादी की प्रति जवाब के साथ संलग्नक नही किया गया है। जिससे यह स्पष्ट होता हो की प्रार्थी को सूचना से अवगत कराया जा चुका है। अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः लोक सूचना अधिकारी के जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं अपीलार्थी को भिजवाये गये पत्रादी में पत्रांक एवं दिनांक आदि का नियमानुसार पूर्ण अंकन कर जवाब पत्रादी के साथ संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही निर्देशित किया जाता है, कि अपीलार्थी को वांछित सूचना से उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में आवश्यक रूप से जरिये पंजीकृत पत्र के माध्यम से अधिप्रमाणित कर उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 10.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)